

दूरभाष : 0121-2665734

फैक्स : 0121-2666062

CIN : U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/कार्य आवंटन

दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

निगमीय ज्ञाप सं०: 1016/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/प्रशा०/कार्य आवंटन दिनांक 09.02.2024 के द्वारा श्री अनूप कुमार वर्मा (अभि० सं०: 88086) (सैप आई०डी०-11000398) को मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ का कार्य आवंटित किये जाने के दृष्टिगत एतद्वारा निगम कार्य हित में श्री धीरज सिन्हा (अभि० सं०: 89059) (सैप आई०डी०-11003323) को वाणिज्य अनुभाग के अतिरिक्त कार्यभार से अवमुक्त किया जाता है।

साथ ही अस्थायी जांच समिति-प्रथम को पुनर्गठित करते हुये श्री धीरज सिन्हा, मुख्य अभियन्ता के स्थान पर श्री अनूप कुमार वर्मा (अभि० सं०: 88086) (सैप आई०डी०-11000398), मुख्य अभियन्ता को उक्त समिति में संयोजक के रूप में नामित किया जाता है। अस्थायी जांच समिति-प्रथम में सदस्य के रूप में नामित लेखाधिकारी यथावत कार्य सम्पादित करते रहेंगे।


उपरोक्त जांच समिति प्राप्त प्रकरणों की जांच निदेशक मण्डल के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1947-औसं०/विनियम/पाकालि/2010-13-विनियम/66 दिनांक 05.06.2010 के उल्लिखित नियम /शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित करेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1084 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/ तददिनांक : 13-02-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी)/ (का० एवं प्रब०)/ (वाणिज्य)/ (वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/ (वाणिज्य)/ (जांच समिति)/ (सा०प्र०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (वि०), गाजियाबाद क्षेत्र-प्र०/ गाजियाबाद क्षेत्र-द्वि०/ गाजियाबाद क्षेत्र-तृ०।
6. मुख्यअभि० (वि०), मेरठ क्षेत्र-प्र०/ द्वि०/ बु०शहर/ मुरादाबाद/ गजरौला/ मु०नगर/ सहारनपुर/ नोएडा।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), पश्चिमांचल विद्युत वितरण नगम लि०, मेरठ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/ (डी०पी०)/ (हाईडिल)/ (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
10. अनुसचिव (०5सी), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अस्थायी जांच समिति के समस्त संयोजक/सदस्य को इस निर्देश के साथ कि प्राप्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें।
12. कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
13. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
14. संबंधित अधिकारी।
15. वैयक्तिक पत्रावली/ कट फाइल।


(संजीव कुमार)

अधिशाली अभियन्ता (एच०आर०)